बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 17–नि0 (अनुकम्पा) लखीसराय – 258 / 2019..9300........**पटना दिनांक**19/12/2023

कार्यालय आदेश

जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, लखीसराय का ज्ञापांक–751 दिनांक 28.12.2022 (क्रमांक–5) द्वारा अनुशंसित तद्नुसार नियुक्ति हेतु वांछित सभी प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक 588 / बन्दो0 दिनांक 22.09.2023 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्व0 हरेन्द्र राम, भूतपूर्व अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय के आश्रित पुत्र श्री संतोष कुमार को निम्नवर्गीय लिपिक (समूह–'ग') के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा पर निर्गत प्रावधानों के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान 19,900–63,200 (लेवल–2) तथा सरकार द्वारा समय–समय स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

2. मृत सरकारी सेवक के सभी आश्रितों के भरण–पोषण का उत्तरदायित्व श्री कुमार पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर परिवाद प्राप्त होने एवं उसकी संपुष्टि के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

3. यदि भविष्य में यह पाया गया कि नियोजित व्यक्ति द्वारा गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया है, तो इस संदर्भ में नियोजित व्यक्ति को एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुए उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

4. असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं दहेज नहीं लेने–देने संबंधी घोषणा पत्र के साथ बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया के समक्ष आदेश निर्गत की तिथि के एक माह के अन्दर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक उपर्युक्त औपचारिकताओं का पालन करते हुए योगदान नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

5. यह नियुक्ति वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–2469 दिनांक 16.11.2005 के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होगी।

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18/12/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–नि0 (अनुकम्पा) लखीसराय – 258 / 2019..9300........**पटना दिनांक**.19/12/2023

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक– 17–नि0 (अनुकम्पा) लखीसराय – 258 / 2019 9300 **पटना दिनांक** 19/12/2023

प्रतिलिपि :– श्री संतोष कुमार, पिता–स्व0 हरेन्द्र राम, ग्राम–मालिकाना, पोस्ट–फतेहा, थाना–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन–843124 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–नि0 (अनुकम्पा) लखीसराय – 258 / 2019 9300 **पटना दिनांक** 19/12/2023

प्रतिलिपि :– बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इस नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि कराने के पश्चात ही वेतनादि का भुगतान करेंगे एवं नवनियुक्त कर्मी की प्रविष्टि R2R में भी करेंगे।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–नि0 (अनुकम्पा) लखीसराय – 258 / 2019 9300 **पटना दिनांक** 19/12/2023

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, लखीसराय को उनके ज्ञापांक–751 दिनांक 28.12.2022 एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय को उनके पत्रांक 588 / बन्दो0 दिनांक 22.09.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17–नि0 (अनुकम्पा) लखीसराय – 258 / 2019 9300 **पटना दिनांक** 19/12/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 19/12/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप